प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 09.10.2025

- **थाना गजनेर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 01 स्टार्टर व जीन की पाईप बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम व घटनाओं के खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना गजनेर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 09.10.2025 को अभियुक्तगण 1. अनुज यादव पुत्र भारत सिंह, 2. लवकुश पुत्र शिवसिंह यादव, 3. शशांक उर्फ लवी पुत्र रूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा निवासीगण ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, 4. नीरज तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को तिलौंची क्रासिंग के पास चितरिया रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 स्टार्टर व जीन की पाईप बरामद हुई। अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा थाना गजनेर क्षेत्रान्तर्गत 03 अलग-अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनके सम्बन्ध में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 0240/2025 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 0292/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 300/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अनुज यादव पुत्र भारत सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2. लवकुश पुत्र शिवसिंह यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3. शशांक उर्फ लवी पुत्र रूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
4. नीरज तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर कस्बा पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. स्टार्टर- 01 अदद
2. जीन की पाईप

बरामदगी का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि अनुज, लवकुश व शशांक उपरोक्त एवं अमन यादव पुत्र अनिल यादव उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर कानपुर देहात आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और हम चारों का एक गिरोह है जो खेतों से स्टार्टर आदि चोरी करते हैं तथा कभी-कभी घरो की चोरी व पशु चोरी भी कर लेते हैं। लगभग डेढ माह पूर्व हम तीनों ने अमन के साथ मिलकर गाँव के धर्म सिंह के ट्यूबवेल से एक स्टार्टर चोरी किया था तथा करीब 10-12 दिन पूर्व हम तीनों ने मिलकर अमन के साथ ग्राम ज्यूनियां में संदीप सिंह के ट्यूबवेल से जीन व स्टार्टर चोरी किया था। स्टार्टर अमन ले गया था ये पता नहीं कि उसने कहां बेचा या उसी के पास है तथा बताया कि हम तीनों ने अमन के साथ मिलकर करीब 2 माह पूर्व जिठरौली गाँव में एक पत्रकार के खेत में लगे ट्यूबवेल से एक स्टार्टर मोटर पम्प की केबिल चोरी की थी जिसका चोरी का माल हमारे साथी अमन द्वारा कहीं बेच दिया गया जिसकी हमें जानकारी नहीं है तथा जो पैसा बांट में मिला था वह खर्च हो गया। आज इस सामान को बेचने के लिए ही नीरज जो साथ में पकड़ा गया है, को बुलाया था कि आप लोगों ने सामान के साथ हमें पकड़ लिया।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0240/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0292/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 300/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस